न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 07/2019

आरसीएमएस नम्बर : 2019/00022

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. रताराम पुत्र नरींगजी 2. जोधाराम पुत्र नरींगजी 3. नेनाराम पुत्र नरींगजी 4. जसाराम पुत्र नरींगजी तमाम बालिग, जातिगण जणवा चौधरी, निवासीगण ग्राम बामणिया, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती जगली पत्नी वीराजी चौधरी, जाति जणवा चौधरी, निवासी ग्राम बामणिया, तहसील बाली जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत मोकमपुरा, जरिये सरपंच तहसील बाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/12/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में ग्राम बामणिया में निःशुल्क जारी विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बामणिया, ग्राम पंचायत मोकमपुरा में अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती जगली पत्नी वीराजी चौधरी के नाम आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 कुल क्षेत्रफल 1350 का निःशुल्क जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 का जैर निगरानी पट्टा भुखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, न ही उसने उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया है। विक्रय विलेख में उल्लेखित शर्त संख्या 8 अनुसार प्रार्थिया द्वारा आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़े का निर्माण करवाना अनिवार्य था तथा अगर निर्माण नहीं करवाया जाता है तो उसके द्वारा आवंटन अधिकारी से मकान निर्माण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि करवानी चाहिए थी। लेकिन अप्रार्थिया ने न तो समय सीमा में किसी प्रकार का निर्माण करवाया न ही समयसीमा बढ़ाने हेतु किसी प्रकार [illegible] आवेदन पेश किया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थिया संख्या 1 ने पंचायत नियमों की पालना नहीं की है, जिस आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टा भूमि पर प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि है, जिसका वे [illegible] से उपयोग–उपभोग कर रहे है। जिस पर उन्होंने बिजली, पानी की सरकारी सुविधाएं ले रखी है तथा उक्त कब्जे के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर उन्होंने ग्राम पंचायत में आवेदन पेश कर नियमानुसार अपने पट्टे जारी करवाए है। उक्त पट्टों के आधार पर प्रार्थीगण ग्राम पंचायत मोकमपुरा से दिनांक 03.01.2017 को कमठा ईजाजत/गटर ईजाजत की नियमानुसार शुल्क अदाकर स्वीकृति प्राप्त कर अपनी सुविधा एवं हैसियत अनुसार मौके पर पक्का निर्माण करवा रहे है। उक्त रसीद की प्रति पत्रावली संलग्न है। इसके पश्चात दिनांक 23.12.2018 को अप्रार्थिया श्रीमती जगली के पुत्र श्री मालाराम द्वारा पुलिस थाना फालना में उक्त पट्टे बाबत झूठा प्रकरण दर्ज करवाने पर प्रार्थीगण को जैर निगरानी विक्रय विलेख की जानकारी हुई। अप्रार्थिया के पुत्र मालाराम द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर पंचायत समिति बाली की स्थाई स्थापाना समिति के तीनों पंचायत समित के सदस्यों ने दिनांक 19.07.2019 को संयुक्त मौका रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि श्रीमती जगली पत्नी वीराजी के नाम जारी निःशुक्ल पट्टा तारीख 14.07.1994 को जारी किया गया था, उस पर अप्रार्थिया का भौतिक रूप से कभी कब्जा नहीं रहा, न ही उसके आवंटन के दो वर्ष के भीतर अथवा आदिनांक झोपड़ा या मकान बनाया है अथवा कब्जा किया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थिया ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा जिस समय पट्टा जारी किया गया, उस समय प्रशासक से मौके स्थिति देखे बगैर ही प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा भुखण्ड का पट्टा जारी कर दिया। जो काबिल निरस्त है।

अधिवक्ता अप्रार्थिया ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थिया श्रीमती जगली पत्नी वीराजी द्वारा भू आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किए जाने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा रिपोर्ट करने के पश्चात विधिवत प्रस्ताव लिया जाकर विकास अधिकारी, बाली द्वारा अप्रार्थिया के हक में निःशुल्क विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 को जारी किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थिया ने उक्त भूखण्ड पर पत्थरों से नीवें भरकर केलुपोस के कमरे बनवाकर मकान का निर्माण करवाया। जो कुछ समय पश्चात ढह कर खण्डहर में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके रहवासीय दीवारे फोटोग्राफ में स्पष्ट नजर आ रही है। अप्रार्थिया द्वारा केलुपोस मकान बनाकर आवंटन की शर्तो की अक्षरश पालना की है। प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी अप्रार्थी जगली के पट्टे की भूमि का अपने पुश्तैनी कब्जे की भूमि बताते हुए पेश की है, जबकि कब्जे का निर्धारण करने का सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अप्रार्थिया के पुत्र मालाराम ने जैर निगरानी पट्टा भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा किए जाने बाबत शिकायत विकास अधिकारी, बाली के समक्ष पेश की जिस पर उन्होंने तीन पंचायत प्रसार अधिकारियों की कमेटी दिनांक 15.03.2019 को सात दिवस में रिपोर्ट पेश करने बाबत आदेश पारित किया, जिस पर उन्होंने जांच प्रतिवेदन पेश किया, जिसमें उन्होने उल्लेख किया कि प्रार्थीगण ने अपने पट्टे की भूमि के अलावा अप्रार्थिया की पट्टा भूमि व ग्राम पंचायत की भूमि पर भी बावजूद स्थगन आदेश के निर्माण कार्य कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि के अलावा भी पंचायत व अप्रार्थिया की भूमि पर भी कब्जा किए हुए है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत अप्रार्थिया के पक्ष में जारी विक्रय विलेख का खारिज कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थिया श्रीमती जगली पत्नी वीराजी को उक्त विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली द्वारा उसको भूमिहीन मानते हुए आवंटित किया है। जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 14 जिन शर्तो के अधीन जारी किया गया है, उसकी शर्त संख्या 8 की पालना अप्रार्थिया द्वारा नहीं की गई है, इससे यह भी माना जाता है कि मौके पर भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने से अप्रार्थीया निर्माण नही करा पाई। इससे जाहिर है कि उसका जैर निगरानी पट्टा भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी संख्या 4 द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड उसके कब्जासुदा भूखण्ड का हिस्सा होने से उसका पट्टा बनाने हेतु उन्होने ग्राम पंचायत में आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया तथा इसके पश्चात दिनांक 03.01.2017 को जसाराम पुत्र नरींगजी ने ग्राम पंचायत मोकमपुरा से कमठा ईजाजत/गटर ईजाजत की रसीद कटाकर निर्माण कार्य शुरू किया। उक्त रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है तथा इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कब्जे बाबत अधूरे मकान निर्माण के फोटो पेश किए, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थिया के पुत्र मालाराम ने उक्त निर्माण कार्य शुरू होने के करीब दो वर्ष पश्चात दिनांक 23.12.2018 को पुलिस थाना फालना में प्रार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की है, इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थिया किसी प्रकार का तथ्य पेश नहीं कर पाये कि निर्माण शुरू होने के इतने समय पश्चात शिकायत पेश क्यों की ? तथा इसी समय विकास अधिकारी, बाली के समक्ष भी शिकायत पेश की है। जिसका भी कोई कारण पेश नहीं किया गया, जबकि अप्रार्थिया व उसका पुत्र उसी गांव का निवासी है, तो उन्हें तुरन्त ही उनके पट्टासुदा भुखण्ड पर हो रहे अतिक्रमण की जानकारी होते ही उनके द्वारा इसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वर्ष 2019 में प्रकरण पेश किया है। हस्तगत निगरानी याचिका में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नांकित पट्टा संख्या 14 जारी दिनांक 14.07.1994 जो अप्रार्थिया को निःशुल्क जारी किया गया है। इसके संबंध में नियमों की पालना की गई है या नहीं ? इस तथ्य का परीक्षण किया जाना है तथा पट्टा संख्या 14 की शर्त संख्या 8 में अंकित किया गया है कि " इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़ा इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। " अप्रार्थिया द्वारा बाद आवंटन उक्त भूखण्ड पर किसी मकान या झोपेड़े का निर्माण करवाया गया है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथ न ही अधिवक्ता अप्रार्थिया यह साबित करने में सफल हुए है कि अप्रार्थिया का उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा रहा या उन्होंने कभी उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करवाया है। अप्रार्थिया के पुत्र द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई शिकायत पर तीन पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा पेश जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट में उन्होंने यह अंकन किया कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा वे निर्माण कार्य करवा रहे है, लेकिन उन्होंने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थिया का कभी भी कब्जा रहा या उसने निर्माण करवाया है तथा इसी भूखण्ड के संबंध में एक दूसरी मौका रिपोर्ट जो तीन पंचायत समिति सदस्यों द्वारा दिनांक 19.07.2019 को तैयार की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अंकित किया कि अप्रार्थिया का जैर निगरानी भूखण्ड पर कभी भौतिक रूप से कब्जा नहीं रहा तथा न ही दो साल के भीतर झोपड़ा या मकान निर्मित कराया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थिया के नाम जारी पट्टा संख्या 14 में वर्णित शर्तो की पालना उसके द्वारा नहीं की गई है, जबकि उनके द्वारा उन शर्तो की पालना करने के आज्ञापक प्रावधान है। प्रार्थी संख्या 4 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, वह जैर प्रार्थना पत्र निगरानी में प्रश्नगत नहीं किया गया है, न ही इस बाबत कोई अन्य निगरानी ही पेश की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 को यथावत रखा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। विकास अधिकारी, बाली द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती जगली के पक्ष में जारी निःशुल्क पट्टा संख्या 14 दिनांक 14.07.1994 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:37 IST
Reason: SelfAttested